न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या–21 / 2019

प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक–10.04.2019

उनवान

रामनिवास पुत्र रेखा , जाति बैरवा निवासी ग्राम हाड़ीकलां तहसील–पीपलू जिला–टोंक

(प्रार्थी)

बनाम

1.रामेश्वर पुत्र रेखा , जाति बैरवा निवासी ग्राम हाड़ीकलां तहसील पीपलू जिला–टोंक

2.विजय नारायण पुत्र रेखा , जाति बैरवा निवासी ग्राम हाड़ीकलां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)

3.तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक (राज.)

(अप्रार्थीगण)

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री विवेक चौधरी

अधिवक्ता अप्रार्थीगणः–श्री चतुर्भुज गुर्जर

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

दिनांकः–14.08.2019

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के पिता रेखा की मृत्यु उपरान्त ग्राम हाड़ीकलॉ में स्थित कृषि आराजीयात के विरासत का जो नामान्तकरण दर्ज किया गया हैं उसमें प्रार्थी के अधुरे नाम निवास का अंकन कर दिया हैं जो गलत हैं। प्रार्थी का पुरा नाम रामनिवास हैं। जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत किया हैं।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई तथा अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री चतुर्भुज गुर्जर ने वकालत नामा पेश किया तथा रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थी का शिड्यूल में वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम निवास के स्थान पर रामनिवास दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्राथी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् व शपथ–पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की सहमति व शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाकर वाकै ग्राम हाड़ीकलॉ पटवार हल्का हाड़ीकलॉ तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.) के राजस्व रिकॉर्ड जिसका अंकन शिड्यूल में अंकित हैं में निवास के स्थान पर रामनिवास अंकित करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शिप्रा शर्मा)
उप खण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
पीपलू (टोंक)